शोध मंथन Vol. XIV No.III July-Sep. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण – एक मूल्यांकन

प्राप्तिः 27.08.2023
स्वीकृतः 15.09.2023

डॉ० प्रदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
जे०एस०एच० (पी०जी०) कॉलेज, अमरोहा
ईमेलः *drpradeepkumar1410@gmail.com*

57

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। सन् 2011 की जनगणनानुसार ग्रामीण भारत में 69 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण समाज में विकास के सामाजिक और आर्थिक प्रतिमान शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, बिजली, स्वच्छता और सड़क में विगत कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब गाँव पलायन एवं बेरोजगारी के बजाए नवाचार के प्रतीक बन गए हैं। अमृत काल के इस दौर में ग्रामीण समाज की आत्मनिर्भरता के पीछे नारी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वतंत्रता उपरान्त के दशकों में ग्रामीण समाज में आजीविका के अवसर एवं सवेतन रोजगार में संलग्नता पैदा करके केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढाओ एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आदि ने भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमृत काल के इस दौर में आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज की महिलाओं को शिक्षा, संसाधन, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास तक पहुँच प्राप्त हो रही है।

मुख्य बिन्दु

आत्मनिर्भरता, ग्रामीण समाज, लोक कल्याणकारी राज्य, नीति निर्देशक तत्व, महिला सशक्तिकरण संकल्पना, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पर्यटन एवं सांस्कृतिक क्षेत्र तथा निष्कर्ष एवं भविष्य।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। सन् 2011 की जनगणनानुसार ग्रामीण भारत में 69 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण की दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है एवं विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण भारत पीछे रह गया है। किसी समय गाँव आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ थे, परन्तु पिछले कुछ दशकों में पोषण, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित होने के कारण गाँव पलायन के प्रतीक बन गए।

21वी सदी के दूसरे दशक में आई कोविड–19 महामारी ने ग्रामीण जीवन की उपयोगिता को न सिर्फ सिद्ध किया बल्कि भावी पीढी के जीवन को समृद्ध बनाने में समावेशी और दक्षतापूर्ण गाँव

के महत्व को पुनः स्थापित किया। इस दौर ने नीति निर्माताओं को एहसास कराया कि मूलभूत बुनियादी सुविधाएं केवल शहर तक सीमित न करके इन्हें ग्रामीण समाज को भी उपलब्ध कराना होगा। इसी के दृष्टिगत शहरों के समावेशी विकास के लिए 27 अगस्त 2015 को अस्तित्व में आई 'स्मार्ट सिटी मिशन' योजना की तर्ज पर ग्रामीण समाज के लिए स्मार्ट विलेज नामक एक नवीन संकल्पना अस्तित्व में आयी। सतत् विकास की यह संकल्पना प्रगति के मानकों को सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं ई–गवर्नेस से सम्बद्ध करती है। यह ग्रामीण समाज को समृद्ध, सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित एवं अग्रसर करती है।

आत्मनिर्भरता

आत्मनिर्भरता का संबंध नागरिकों में आत्मविकास से होता है। आत्म विकास ही वह तत्व है, जो किसी भी व्यक्ति, गाँव, शहर, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक ले जा सकता है। आत्म विकास तभी पैदा होता है, जब देश के नागरिकों को बुनियादी मूलभूत सुविधाओं के साथ–साथ ऐसा वातावरण उपलब्ध हो, जिसमें वे 'स्वपन' देखने एवं उन्हें पूरा करने का संकल्प ले सके। विगत् वर्षों में देश ने गुणवत्तापूर्ण जीवन से जुड़ी अनेक सुविधाएं ग्रामीण समाज को उपलब्ध करायी हैं।

ग्रामीण समाज

अनेक गाँवों या ग्रामीण समुदायों का समूह है। इन समुदायों के सदस्यों में अनौपचारिक, प्राथमिक, सरल एवं परम्परागत संबंध पाये जाते हैं। अधिकांश व्यक्ति कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्य करते हैं। उसके सदस्यों में सामुदायिक भावना पायी जाती है तथा सदस्यों की अधिकांश आवश्यकता अपने समुदाय में ही पूरी हो जाती है।[1]

पुरातन ग्रामीण समाज में कृषि व्यवसाय, व्यवसाय में विशेषीकरण का अभाव, संयुक्त परिवार की प्रधानता, प्रकृति से प्रत्यक्ष सम्बंध, जनसंख्या का कम घनत्व, सजातीयता, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, जाति व्यवस्था का महत्व, धार्मिक विचारों की प्रधानता, नारी की निम्न स्थिति एवं शिक्षा का अभाव आदि विशेषताएँ समाहित थी। अशिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता के अभाव आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति भारतीय ग्रामीण समाज में सदैव निम्न रही है। इनका कार्य केवल घर की परिधि में काम करना अथवा उत्पादन कार्यों में योगदान देना रहा है।

आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, कोविड–19 महामारी एवं अमृतकाल के दृष्टिगत ग्रामीण समाज में आर्थिक संकल्पना, वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण, सार्वभौमिक लौकिक मूल्य और राजनीतिक स्थायित्व आदि समाहित हो गए हैं तथा भारतीय ग्रामीण समाज के तीन स्तम्भ गाँव, जाति व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार प्रणाली इनके प्रभाव से काफी परिवर्तित हो गए है।

आत्मनिर्भरता के दृष्टिगत ग्रामीण अर्थतंत्र, ग्रामीण अवसंरचना, तकनीक आधारित सेवाएं व सुशासन, ग्रामीण भारत की जनसांख्यिकी व भौगोलिक क्षमता और माँग तथा आपूर्ति के केन्द्र आत्मनिर्भर गाँव के पांच सतम्भ हैं।[2] स्वतंत्रता के समय भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की जिस अवधारणा को दार्शनिक नजरिए तक सीमित रखा गया, उसे अमृतकाल के इस दौर में व्यावहारिक धरातल पर सत्य होते देख सकते हैं।

लोक कल्याणकारी राज्य

राज्य का वह प्रतिरूप जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस ढंग से विनियमित किया जाता है कि निर्धन और निर्बल वर्गों को अपेक्षित

सहायता पहुँचाई जा सके एवं समुदाय के सब हिस्सों के लिए सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। यह राज्य अपेक्षाकृत समर्थ लोगों पर कर लगाकर जन साधारण के लिए शिक्षा, परिवहन, पोषण, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण की स्वच्छता, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा इत्यादि का उचित प्रबंध करता है। ऐसा राज्य राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा, ज्ञान–विज्ञान के विस्तार एवं नई प्रतिभाओं के संवर्द्धन एवं विकास पर विशेष बल देता है।[3]

देश में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों में निहित है। नीति–निर्देशक सिद्धांतों का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीकों से सामाजिक क्रांति का पथ–प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सामूहिक रूप से ये सिद्धांत भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों का वास्तविक महत्व यह है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व के द्योतक हैं। भारतीय संविधान के भाग तीन में अनु० 12 से अनु० 35 तक मौलिक अधिकार एवं भाग चार में नीति निर्देशक तक अनु० 36 से अनु० 51 तक उपबंधित हैं।[4] संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, उन आदर्शों की ओर बढ़ने के लिए यह मार्ग–प्रशस्त करते हैं।

विदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है एवं समाज पितृसतात्मक है। इस समाज में महिलाओं की परिवार के पुरूष समुदायों पर निर्भरता उनके जीवन के हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। परिवार में महिलाओं की निम्न स्थिति और निर्णय लेने की कमी के लिए पुरूषों पर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक निर्भरता को जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि वह क्षेत्र है, जहाँ स्त्रियों को सबसे ज्यादा कार्य मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने का एक मुख्य कारण यह है कि गाँवों में पलायन के कारण पुरूष शहरों की ओर जा रहे हैं। श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठनों के आँकड़ें यह प्रदशित करते हैं कि कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत पिछले कई दशकों से गिर रहा है। यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की सम्भावना है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारत महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ने से देश की आर्थिक प्रगति होगी एवं साथ ही महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ने से सशक्तिकरण की अवधारणा संकल्पित होगी।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण से आशय महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर में गुणात्मक परिवर्तन, उन्नयन, नेतृत्व एवं नीति निर्माण में सतत् भागीदारी से है। यह एक सर्वांगीण संकल्पना है। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, नियोजन, निवेश, कौशल विकास एवं राजनीतिक प्रतिभाग जैसे क्षेत्रों में समर्पित संसाधनों का आवंटन एवं निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी है। भारत में पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने खेल–कूद, कला, ज्ञान–विज्ञान, अनुसंधान, चिकित्सा सहित अनेक उपलब्धियों एवं मानकों को छुआ है। आज देश और दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थित दर्ज न कराई हो।[5]

सशक्तिकरण से आशय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की सक्रिय एवं सतत् भागीदारी से भी है। वस्तुतः स्त्रियों को वस्तुनिष्ठ तौर पर ऐसी सुविधाएँ दी जाए, जिसके सहारे वे अपने व्यक्तित्व का

स्वेच्छा से निमार्ण कर सकें। यदि उनके स्वास्थ्य, नियोजन, पोषण एवं शिक्षा के लिए अधिक से अधिक संसाधन मिलें तो वे अपनी सृजनशीलता से प्रगति एवं विकास के नये मापदंड निर्धारित कर सकती हैं।[6]

महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज के विकास एवं प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मापदंड होती है। उनकी शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय–निमार्ण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका और उनके सामाजिक अधिकार उनकी स्थिति को जानने के संकेतक है आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण को निम्न शीर्षकों से समझा जा सकता है :–

1. राजनीतिक क्षेत्र

इसके अन्तर्गत सशक्तिकरण से आशय राजनीतिक सत्ता में नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया एवं नीति निमार्ण में सक्रिय भागीदारी से है। स्वतंत्र भारत में महिला अधिकारिता के संदर्भ में संविधान के 73वे और 74वे संशोधनों के माध्यम से स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व में उनके लिए एक तिहाई स्थान का आरक्षण सुनिश्चित हुआ है। साथ ही, इन संस्थाओं में प्रधान और अध्यक्षों के पद हेतु एक तिहाई पदों का आरक्षित होना उपलब्धि रही है। उन्हें केवल प्रतिनिधितव ही नहीं, बल्कि नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ है। नेतृत्व से आशय किसी उद्देश्य की प्राप्ति में लोगों को सहयोग के लिए स्वैच्छिक प्रयास एवं प्रेरित करने से है। सैकलर हडसन के शब्दो में ''किसी समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगो को साझे यत्न करने के लिए प्रेरित करना नेतृत्व है''।[7]

राज्य एवं केन्द्र की राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, बढ़ते हस्तक्षेप तथा स्थानीय स्तर पर पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। उपलब्ध रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि कैसे कई मिथक दूर हो रहे हैं। पर्दानशीन महिलाएँ भी सार्वजनिक बैठकों में प्रतिभाग कर रही हैं। वे शिक्षा, रोजगार, दहेज, टीकाकरण, जैविक खेती के तौर–तरीके एवं स्त्री–पुरूष सम्बंधों पर पंचायतों में चर्चा कर रही है।

2. आर्थिक क्षेत्र

भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा गाँवों में निवास करता है, लिहाजा ग्रामीण समाज को मानव पूँजी के विशाल भण्डार के तौर पर देखा जाता है। सन् 2011 में हुई जनगणनानुसार कार्यबल का 72.4 प्रतिशत हिस्सा गाँवों में निवास करता है। पिछले कुछ दशकों में भारत के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका एवं प्रभाव में भी बदलाव हुआ है। उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार की व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित्त किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृशि नीति 2007 में कृषि में महिलाओं की भूमिका को अत्याधिक महत्व देने के साथ–साथ कृषि विकास एजेंडा में उनसे सम्बंधित मुद्दों को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने महिलाओं को कृषि की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और मिशनों में महिला समर्पित गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का फैसला किया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। इसके द्वारा भारत की जीडीपी का छठवां भाग निर्मित हुआ है।

प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ब्याज सहायता योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं महिला

किसान सशक्तिकरण परियोजना सहित अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को मजबूत, सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रही हैं।

3. सामाजिक क्षेत्र

नारी को समर्पित इस अमृतकाल में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में बने घरों में से 70 प्रतिशत घरों की मालकिन महिलाओं को बनाकर परिवार में उनके महत्व और जरूरत को स्थापित किया है। जनधन योजना के तहत जितने बैंक खाते खोले गए हैं, उनमें से भी 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएँ हैं और इनमें से एक बड़ी आबादी देश के ग्रामीण समाज से सम्बंधित है।

नारी सम्मान एवं देश को खुले में शौच की बुराई से मुक्त कराने के लिए प्रारम्भ किए गए स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के अन्तर्गत 1.34 लाख से ज्यादा गाँव को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। उज्जवला योजना के अन्तर्गत 10 करोड से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराके नारी को धुएँ की समस्या से मुक्त कराया जा चुका है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना लागू करके यह सुनिश्चित किया गया है कि देश के 99 प्रतिशत से अधिक घरों में बिजली पहुँच चुकी है।[8] बेटी बचाओ–बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सहित अनेक सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रहे हैं।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार स्त्री को पत्नी, पुत्री एवं माता के रूप में पुरूषों के समान साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। साम्पत्तिक अधिकार मिल जाने से पत्नी, पुत्री और माता के रूप में समाज में स्त्रियों का सम्मान बढ़ गया है। साथ ही, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार अतंर्जातीय विवाह की वैधानिक अडचनें दूर हुई हैं। वर्तमान में हिन्दु, मुसलमान एवं ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के मानने वाले आपस में विवाह कर सकते हैं।[9]

4. पर्यटन एवं सांस्कृतिक क्षेत्र

पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें लोग कुछ समय के लिए मनोरंजन, विश्राम, व्यवसाय या किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपने आवासीय क्षेत्र से बाहर के स्थानों की यात्रा और समय व्यवतीत करते हैं। ग्रामीण पर्यटन मूलतः देहाती इलाकों में संचालित गतिविधियों और ग्रामीण जीवनशैली पर केन्द्रित है। पर्यटक गाँव की दैनिक गतिविधियों में पर्यटन के समय भाग लेते हुए आनंद का अनुभव करता है। त्यौहारों व स्थानीय उत्सवों से लब्ध यह सांस्कृति धरोहर और परम्परा के संरक्षण पर आधारित है। इसमें पर्यटकों को क्षेत्र की परम्पराओं एवं संस्कृति को आत्मसात् करने का मौका मिलता है।

हमारी सांस्कृतिक चेतना में ग्रामीण भारत का गौरवशाली अतीत बसा है। ग्रामीण समाज में लगने वाले मेले अर्थतंत्र का केन्द्र होने के साथ ही प्राचीन संस्कृतियों के संवाहक रहे हैं। सामान्यतः मेलों की पृष्ठभूमि सामाजिक, धार्मिक, अध्यात्मिक, ऋतु परिवर्तन, त्यौहार तथा पशुधन केन्द्रित रही है।[10] आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज में मेले, तीर्थ स्थल एवं त्यौहारों से महिला सशक्तिकरण को नये आयाम प्राप्त हुए हैं।

निष्कर्ष एवं भविष्य

आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज की महिलाएं विकास की प्रमुख वाहक हैं। सतत् विकास के लिए आवश्यक आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक परिवर्तनों की उपलब्धि के लिए महिलाएं प्रेरक की

भूमिका निभाती हैं। यद्यपि ऋण, स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण तक सीमित पहुँच उनके सामने अनेक चुनौतियां हैं। दुनिया में कृषि कार्यबल में महिलाओं की बड़ी आबादी को दृष्टिगत् रखते हुए न केवल व्यक्तियों, परिवारों और ग्रामीण समाज की भलाई के लिए, बल्कि समग्र आर्थिक उत्पादकता के लिए उन्हें सशक्त बनाना अपरिहार्य है। जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो दुनिया समृद्ध होती है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देता है और उनके विचार सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला–नेतृत्व वाला विकासवादी दृष्टिकोण है और भारत इस दिशा में काम कर रहा है।

संदर्भ

1. महाजन, डा० धर्मवीर. (2002). भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य. विवेक प्रकाशनः जवाहर नगर. दिल्ली. पृष्ठ **75.**
2. मिश्रा, अरविन्द कुमार. (2022). समावेशी राह पर ग्रामीण भारत. कुरूक्षेत्रः नई दिल्ली. मई. पृष्ठ **07.**
3. गाबा, ओ०पी० (2022). राजनीति–सिद्धांत की रूपरेखा. नेशनल पेपर बैक्सः दरियागंज, दिल्ली. पृष्ठ **330.**
4. पाण्डेय, डा० जय नारायण. (2003). भारत का संविधान. सैन्ट्रल लॉ एजेन्सीः इलाहाबाद. पृष्ठ **344.**
5. कुमारी, कल्पना. (2023). हर क्षेत्र में बराबर नजर आती है महिलाएं. हिन्दुस्तान, मुरादाबाद. 26 अगस्त. पृष्ठ **08.**
6. वर्मा, प्रो० (डा०) सवलिया बिहारी., सोनी, डा० एम०एल०. (2005). महिला जागृति और सशक्तिकरण. आविष्कार पब्लिशर्सः जयपुर. पृष्ठ **291, 292.**
7. भूषण, विद्या. (2001). लोक प्रशासन के सिद्धांत. एस चन्द एण्ड कम्पनी लि०ः रामनगर, नई दिल्ली. पृष्ठ **197.**
8. लाल, भरत. (2023). हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य का विकास. योजना. फरवरी. पृष्ठ **14.**
9. मुकर्जी, डा० रवीन्द्र नाथ., अग्रवाल, डा० भरत. (2002). भारतीय सामाजिक व्यवस्था. जवाहर नगर, नई दिल्ली. पृष्ठ **434, 439.**
10. सिंह, गजेन्द्र. (मधुसूदन). (2022). ग्रामीण पर्यटन : प्रगति और सम्भावनाएं. कुरूक्षेत्रः नई दिल्ली. जून. पृष्ठ **27.**